न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य,
आर.ए.एस
मुकदमा नम्बर :– 391/2007

1. मोहनलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण निवासी अमरसर

(मृत्क दौराने अपील)

1/1 अशोक कुमार पिता स्व. मोहनलाल
1/2 श्रवणकुमार पिता स्व. मोहनलाल
1/3 राजेन्द्र कुमार पिता स्व. मोहनलाल
1/4 हरिप्रसाद पिता स्व. मोहनलाल
1/5 प्रवीण कुमार पिता स्व. मोहनलाल
1/6 ललिता देवी पुत्री स्व. मोहनलाल
1/7 मनोरमा पुत्री स्व. मोहनलाल
1/8 द्रोपती देवी पुत्री स्व. मोहनलाल
1/9 रमा देवी पुत्री स्व. मोहनलाल
1/10 सीमा देवी पुत्री स्व. मोहनलाल
समस्त जाति ब्रहमण निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा

प्रार्थीगण्

बनाम

1. महेश वयस्क पुत्र स्व. रामदास
2. विष्णु वयस्क पुत्र स्व. रामदास
3. कमली पत्नी स्व. रामदास
   समस्त जातियान् ब्रमण निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. मनफूली पत्नी स्व. हनुमान सहाय (मृत्क दौराने अपील)
   4/1 दामोदर पुत्र हनुमान सहाय
   4/2 बसन्ती पुत्री मनफुली पत्नी हनुमान सहाय
   4/3 कोयली पुत्री मनफुली पत्नी हनुमान सहाय
   4/4 आंची पुत्री मनफुली पत्नी हनुमान सहाय
   4/5 प्रेम पत्नी स्व. सीताराम पुत्र मनफूली
   4/6 सरोज पत्नी स्व. बृजमोहन पुत्र मनफूली
   समस्त जातियान् ब्रहमण निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. कैलाश पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण्

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियमन कृषि प्रयोजनार्थ 1970 विरूद्व नियमन साबिक आराजी ख.नं. 263 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा ग्राम अमरसर हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 0.14 व 620 रकबा 0.14 हैक्टर वाके ग्राम अमरसर दिनांक अज्ञात बाबत।

निर्णय

दिनांक 29.1.2021

प्रार्थी ने नियमन साबिक खसरा नम्बर 263 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा ग्राम अमरसर हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 0.14 व 620 रकबा 0.14 हैक्टर वाके ग्राम अमरसर दिनांक नामालुम आवंटन नियमन कृषि प्रयोजनार्थ 1970 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 14(4) में प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जिसमें वर्णित तथ्य प्रार्थी द्वारा निम्नभांति पेश किये हैं :–

1. यह है कि नियमन आदेश दिनांक अज्ञात विधि विधान एवं तथ्य पत्रावली के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

2. यह है कि भू–आवंटन एवं नियमन कमेटी ने तथाकथित नियमन की कार्यवाही से पूर्व बिना मौके की वस्तुस्थिती की जांच किये प्राथी के कब्जेकाश्त अधिकार की भूमि के साथ जाव होने के तथ्य को नजर अन्दाज करके आदेश गैर नियमन पारित किया है। इसका नियमन आदेश अपास्त फरमाये जाने योग्य है।
3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय नियमन एवं आवंटन कमेटी में बिना विधिवत उद्घोषणा जारी किये तथा बिना आवश्यक आवेदन प्राप्त किये आदेश बाबत नियमन जारी किया है जो सरासर गलत मनमाना होने के कारण अपास्त फरमाये जाने योग्य है।
4. यह है कि अधिनस्थ आवंटन एवं नियमन कमेटी ने विवादित भूमि की भूगौलिक स्थिती अर्थात उसके परिवारजनों व पूर्वजों की भूमि के मध्य स्थित होने के तथ्य पर बिना विचार एवं गौर किये आदेश जेर कार्यवाही करने में सरासर भूल की है। ऐसी सूरत में आदेश जेर कार्यवाही अपास्त फरमाये जाने योग्य है।
5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बारवक्त नियमन इस तथ्य पर तनिक भी गौर नहीं किया है कि उसका विवादित आराजी पर तत्समय व इससे पूर्व अप्रार्थीगण व उनमें बुजुर्गों का कही कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और फिर भी नियमन की कार्यवाही करने में सम्बन्धित नियमों की अनदेखी की गयी है। इस कारण भी नियमन आदेश अपास्त फरमाये जाने योग्य है।
6. यह है कि आवंटन एवं नियमन कमेटी ने नियमन आदेश पारित करने से पूर्व बिना आवंटन/नियमन योग्य भूमि की सूची बनाये ही नियमन की कार्यवाही सम्यन की है जो नियमन के नियमों के विरूद्व है तथा नियमन की गयी भूमि के सम्बनध में अप्रार्थीगण व उनके पूर्वज नियमन के आवश्यक योग्यता नहीं रखता है फिर भी आवंटन नियमन कमेटी ने आराजी जेर विवाद था नियमन कर प्रार्थी के हक हकूकों पर कुठाराधात किया है इस कारण भी कार्यवाही नियमन निरस्त फरमाये जाने योग्य है।
7. यह है कि आवंटन/नियमन कमेटी ने आवंटन एवं नियमन हेतु विवादित भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवेदन पत्रों को जिसमें प्रार्थी का आवेदन पत्र भी सम्मलित था जो बिना विधिक रूप से पंजिबद्व किये कार्यवाही नियमन पूर्ण करने में नियमों की सरासर अनदेखी की है, जबकि प्रार्थी प्रभावित पक्षकार की श्रेणी में आता है जिसने बिना सूचना सुनवायी व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये ही आदेश नियमन पारित किया है। यह जेर नियमन कार्यवाही न्याय के सामान्य एवं प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त फरमाने योग्य है।
8. यह है कि नियमन आदेश संयुक्त रूप से रामदास पुत्र रामेश्वर मनफूली पत्नि स्व. हनुमान सहाय कैलाश पुत्र रामनिवास के हक में पारित किया गया है, जबकि उनका तथा उनके पूर्वजों का सम्बन्धित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है साथ ही 17/01/79 को कैम्प राडावास मिटिंग रखी गयी थी एवं उक्त मिटिंग में ग्राम पंचायत अमरसर में किसी भूमि का नियमन नहीं होना अंकित किया है ऐसी स्थिति में भी नियमन जिसका कोई आधार व औचित्य नहीं है जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है।
9. यह है कि नियमन आवंटन कमेटी में क्षेत्रिय विधायक अथवा सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों का मनोनित व्यक्ति को उपस्थित होना मुख्यतः व मूलतः है, जिसका प्रस्तुत कार्यवाही में पूर्ण अभाव रहा है। इस कारण भी नियमन का आदेश सरासर रूप से अपास्त फरमाये जाने योग्य है।
10. यह है कि विवादित भूमि के पटवारी हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक नियमन सम्बन्धी आवेदन एवं प्रपत्रों की बिना जांच किये ही नियमन कार्यवाही को अन्तिम रूप देने में तथा तदनुसार आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा नियमन का आदेश देने में भारी भूल की है।
11. यह है कि विवादित भूमि के पटवारी हल्का/भू–अभिलेख निरीक्षक नियमन सम्बन्धी आवेदन एवं प्रपत्रों की बिना जांच किये ही नियमन कार्यवाही को अंतिम रूप देने में तथा तदनुसार आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा नियमन का आदेश देने में भारी भूल की है।
12. यह है कि प्रार्थी प्रभावित पक्षकार की श्रेणी में आता है। इसलिए उसे प्रार्थना–पत्र पेश करने का अधिकार है । इस कारण नियमन रामदास पुत्र रामेश्वर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वज के हक में अप्रार्थीगण् संख्या 4 व 5 के हक में होना पोशीदा रूप से सरकारी रिकॉर्ड में अंकित है तथा रामदास की मृत्यु हो चुकी है तथा नियमन की भूमि साबिक खसरा नम्बर 263 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा ग्राम अमरसर न्यायालय श्रीमान् क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए प्रस्तुत कार्यवाही को सुनने का अधिकार श्रीमान् न्यायालय को है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश बाबत नियमन दिनांक अज्ञात बाबत साबिक खसरा नम्बर 263 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम अमरसर अपास्त फरमाने की अज्ञा प्रदान करें व अन्य आदेश उचित प्रतीत हो वो दिलवाने की अज्ञा प्रदान करें।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

13. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र जरिये वकील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण् को विधि अनुरूप जरिये नोटिस तल्ब किया गया, जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।
14. यह है कि अप्रार्थी संख्या 04 मनफूली फौत होने पर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थी को फौत होना जाहिर करने संशोधित टाईटल के साथ उनके वारिसान् को रिकॉर्ड पर लिया गया।
15. प्रकरण में दिनांक 20/7/2012 को वकील प्रार्थी ने मौके की जांच हेतु गुहार करने पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये जो दिनांक 23/11/2012 को प्राप्त हुयी जो संलग्न पत्रावली है।
16. बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि भू–आवंन्न/नियमन कमेटी ने तथा कथित नियमन की कार्यवाही से पूर्व बिना मौके की एवं वस्तुस्थिती की जांच किये प्रार्थी के कब्जेकाश्त की अधिकार की भूमि के साथ जाव होने के तथ्य को नजरअन्दाज करके आदेश जेर नियम पारित किये है। आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा बिना उद्घोषणा जारी किये एवं आवश्यक आवेदन आमन्त्रित किये बिना ही बाबत नियमन आदेश जारी किये है जबकि विवादित आराजी पर तत्समय व इससे पूर्व अप्रार्थीगण् व उनके पूर्वजों का कही भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा नियमन की गयी भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण् व उनके पूर्वज नियमन की गयी भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण् व उनके पूर्वज नियमन के बाबत आवश्यक योग्यत नहीं रखता है। नियमन आदेश संयुक्त रूप से रामदास पुत्र रामेश्वर मनफूली पत्नी स्व. हनुमान सहाय कैलाश पुत्र रामनिवास के हक में पारित किया गया है जबकि उनका तथा उनके पूर्वजों का सम्बन्धित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है साथ ही 17/01/79 को कैम्प राडावास मिटिंग रखी गयी थी उस मिटिंग में ग्राम पंचायत अमरसर में किसी भूमि ाक नियमन नहीं होना अंकित किया है। नियमन/आवंटन कमेटभ में क्षेत्रिय अथवा सम्बन्धित जानप्रतिनिधि का मनोनित व्यक्ति की उपस्थिति होना मुख्यतः है जिसका भी अभाव रहा है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रपत्रों की जांच किया बिना ही अप्रार्थीगण्दास वगैरह ने अप्रार्थी संख्या 06 के अधिनस्थ कर्मचारी से छल कपट पूर्वक तरिके से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर नियमन की सूची में अपना नाम अंकित कराया है, जबकि विवादित भूमि की भूगौलिक स्थिती प्रार्थी व उनके परिवारजनों व पूर्वजों की भूमि के मध्य है इसके लिए आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा गोर किया जाना चाहिए था। विवादित भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवेदन पत्रों के संलग्न प्रार्थी का भी आवेदन पत्र था जिसको पंजीबद्व नहीं किया गया तथा प्रार्थी प्रमाणित पक्षकार होने पर भी सूचना एवं सुनवायी तथा अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रकरण में मौका आयुक्त द्वारा प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार आराजी ख.नं. 619 का आधा हिस्सा रास्ता छोडकर स्थित है जो आराजी के पश्चिम दिशा में है जो लगभग 7 एयर का है खाली पडा हुआ है तथा 619 का आधा हिस्सा ख.नं. 620 के साथ सम्मलित है जिसमें ऑवले के पेड लगा होना नाथूराम पलसानिया मोहनलाल का होना जाहिर किया है। आराजी ख.नं. 619 व 620 के उत्तर की ओर आराजी ख.नं. 618, 621 स्थित है जो मोहनलाल के नाम से है। ख.नं. 618 में ख.नं. 619 के लगते हुए मकान बने हुये है। ख.नं. 619 के मध्य में से रास्ता चालू है जो खसरा नम्बर 616 व 618 के लगता हुआ आगे जा रहा है साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस में यह भी जाहिर किया है कि मौके पर एवं मुताबिक कमीश्नर रिपोर्ट से अप्रार्थीगण का उक्त आराजीयात् पर कब्जा काश्त नहीं है ना ही कभी रहा है। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जावें। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश बाबत नियमन अज्ञात साबिक ख.नं. 263 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम अमरसर अपास्त फरमावें।

चूँकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजात् के अवलोकन से फहरिस्त नियमन व अलाटमेन्ट की प्रमाणित प्रति अनुसार रामदास पुत्र रामेश्वर मनफूली स्त्री हनुमान सहाय कैलाश पुत्र रामनिवास ब्राहमण ग्राम अमरसर में ख.नं. 263 में रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा नियमन का अंकन है जिसमें तारीख एवं कार्यवाही विवरण का उललेख नहीं है। उक्त नियमन बाबत दिनांक 10/01/79 को तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का अमरसर को कागजात् अमल करने के आदेश दिये है। प्रकरण में इस न्यायालय हाजा में पत्रांक/कोर्ट/2012/1634–1636 दिनांक 25/7/2012 के द्वारा श्री देवेन्द्र भारद्वाज एडवोकेट शाहपुरा को मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौके पर आराजी की क्या स्थिति है तथा कोन किस प्रकार मौके पर काबिज है, इस बाबत आदेशित किया । मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 23/11/2012 को जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की है, जिसमें वर्णित किया

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

है कि आराजी ख.नं. 619 का आधा हिस्सा रास्ता छोडकर स्थित है जो आराजी के पश्चिम दिशा में है जो लगीाग 7 एयर का है खाली पडा हुआ है, जिसमें ऑवले के पेड लगे होना नानूराम पलसानिया मोहनलाल का होना जाहिर किया है। आराजी ख.नं. 619 व 620 के उत्तर की ओर आराजी ख.नं. 618, 621 स्थित है जो मोहनलाल के नाम से है। ख.नं. 618 में ख.नं. 619 के लगते हुए मकान बने हुये हैं। ख.नं. 619 के मध्य में से रास्ता चालू है जो ख.नं. 616 व 618 लगता हुआ आगे जा रहा है। उक्त प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजीयात् पर कही कब्जा काश्त होना नहीं पाया जाता है साथ ही वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि उक्त आराजीयात् पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है ना ही कभी रहा है। अतः आदेश बाबत नियमन अपास्त साबिक ख.नं. 263 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम अमरसर अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार फरमाया जावें।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार किया जाता है तथा आदेश नियमन बाबत साबिक ख.नं. 263 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पालनार्थ हेतु तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हों ।
18. निर्णय आज दिनांक 29.1.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)